कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी विशेष अपील सख्या 637/2020 सुनिल समदरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य विशेष अपीलों में पारित आदेश दिनांक–23.10.2020 में कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों/विद्यार्थियों से शैक्षणिक सत्र 2020–21 में फीस वसूल किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को दिनांक 28.10.2020 तक दिशा–निर्देश जारी करने के आदेश दिये गये हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 23.10.2020 की पालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः–प.8 (3)शिक्षा–5/कोविड–19 फीस स्थगन/2020 जयपुर दिनांक–28.10.2020 के अनुसरण में **शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु** गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों से फीस वसूल किये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

अ– विद्यालयों के खुलने के उपरान्त लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

1. विद्यालय खुलने के उपरान्त विद्यार्थियों से केवल **शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस)** ही लिया जाएगा।
2. यह शिक्षण शुल्क, शिक्षण हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। जैसेः–सीबीएसई द्वारा कक्षा 09 से 12 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत कटौती कर 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, **अर्थात् लिया जाने वाला शुल्क गत सत्र में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का 70 प्रतिशत ही होगा।** इसी प्रकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 09 से 12 के लिए 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम में कटौती कर 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, **अर्थात् लिया जाने वाला शुल्क गत सत्र में लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का 60 प्रतिशत ही होगा।**
3. राज्य में कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों के तहत वर्तमान में कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों को विद्यालयों में बुलाये जाने का निर्णय नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में जब भी निर्णय लिया जायेगा, तथा जितना पाठ्यक्रम संक्षिप्त किया जायेगा, उसी के अनुपातिक रूप में लिया जाने वाला शुल्क की कटौती निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम में की जाने वाली कटौती के अनुरूप होगी।
4. उक्तानुसार तय होने वाले निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए विद्यालय द्वारा अभिभावकों/विद्यार्थियों को मासिक/त्रैमासिक भुगतान का विकल्प उपलब्ध करवाना होगा।
5. विद्यालय में गत शैक्षिक सत्र में **पूर्व निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म)** को बदला नहीं जा सकेगा।
6. विद्यार्थियों द्वारा जिन सुविधाओं का उपयोग नही किया जा रहा है यथा–लेबोरेट्री, स्पोर्टस्, पुस्तकालय, सहशैक्षिक गतिविधियां, विकास–शुल्क, बोर्डिंग शुल्क आदि के संबंध में विद्यार्थियों से कोई शुल्क वसूल नही किया जा सकेगा।
7. विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति हेतु उनके अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
8. अगर विद्यार्थी, विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले परिवहन सुविधा यथा बालवाहिनी आदि का उपयोग करता है, तो परिवहन शुल्क लिया जा सकेगा, जो कि गत सत्र के परिवहन शुल्क से अधिक नहीं होगा। यह परिवहन शुल्क, विद्यालय खुलने के बाद शेष कार्यदिवसों के अनुपात में होगा।
9. विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए परिवहन हेतु उपलब्ध करवाये गये वाहन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड–19 की गाईडलाईन तथा शासन के दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी।
10. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय संचालन हेतु जारी की जाने वाली एस.ओ.पी. की पालना गैर–सरकारी विद्यालयों को भी करनी होगी।

ब— विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यार्थियों हेतु शुल्क

1. विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियो से प्राप्त किये जाने योग्य शुल्क का निर्धारण विद्यालय खुलने के उपरान्त शेष शिक्षण हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है।
2. विद्यालयों के खोले जाने से पूर्व विद्यालयों द्वारा किया जा रहा ऑनलाईन शिक्षण कार्य, वस्तुतः विद्यार्थियों को मूलभूत अवधारणों एव दक्षताओं का शिक्षण कराना था, अर्थात् इस अवधि में ऑनलाईन शिक्षण का उद्देश्य दक्षता संवर्द्धन (कैपिसिटी बिल्डिंग/**CAPACITY BUILDING**) था। **अतः इस हेतु नियत किये जाने वाले शुल्क का नाम कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क होगा।**
3. जिन भी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन शिक्षण का कार्य किया गया है/ किया जा रहा हैं, के लिए विद्याथियों से लिया जाने वाला यह **कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क** विद्यालय द्वारा उस **कक्षा विशेष में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क का 60 प्रतिशत होगा। इस ऑनलाईन शिक्षण के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी तथा सहमत विद्यार्थियों से ही कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क लिया जायेगा।**
4. **जब विद्यालय पुनः खुलेंगे तो विद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह ऑनलाईन अध्ययन नहीं करने वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा तय किये गये पाठ्यक्रम एवं निर्देशों के अनुसार पूर्ण करावें जिससे ऑनलाईन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों एवं ऑनलाईन अध्ययन नहीं करने वाले विद्यार्थियों के मध्य विद्यालय द्वारा समानता सुनिश्चित की जा सके।**
5. यह कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क अभिभावकों से समान मासिक किश्तों में लिया जा सकेगा।
6. जब तक किसी कक्षा/कक्षाओं के विद्यार्थियों को विद्यालय में कक्षा शिक्षण हेतु बुलाने की अनुमति शासन द्वारा नहीं दी जाती है तथा ऑनलाईन शिक्षण कार्य नियमित रहता है तो ही उक्तानुसार वर्णित कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क लिया जा सकेगा।
7. अगर कोई विद्यार्थी विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली ऑनलाईन शिक्षा नहीं लेता है, तो उससे कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

स— शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस का निर्धारण)

1. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के अनुसार विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क ही उक्तानुसार शुल्क निर्धारण के लिए मान्य होगा, जिसमें शुल्क के विभिन्न मदों यथा शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय मद, आदि का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा।
2. गत वर्ष का निर्धारित कुल शुल्क एवं शिक्षण शुल्क को नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
3. प्रत्येक अभिभावक को उसके द्वारा भुगतान किये गए शिक्षण शुल्क/कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क की रसीद दी जानी होगी। इस रसीद में सभी प्रकार के प्रावधानिक शुल्क के मद एवं कटौती उपरान्त देय शुल्क का विवरण उल्लेखित होना आवश्यक है।
4. जो विद्यार्थी ऑनलाईन कक्षाओं में अध्ययन प्राप्त कर रहें है और इसे निरन्तर रखना चाह रहें है परन्तु उनके अभिभावक शुल्क देने में असमर्थ है, ऐसे प्रकरणों के परीक्षण के लिये विद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन कर प्रकरण वार शुल्क में शिथिलता हेतु उसकी परिस्थिति के अनुरूप राहत प्रदान करने के संबंध में निर्णय किया जाऐ।
5. गत शैक्षणिक सत्र 2019–20 का बकाया शुल्क (जब तक विद्यालय खुले थे तब तक का शेष) समान मासिक किश्तों में लिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को एक मुश्त बकाया शुल्क जमा कराने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षाओं में पंजीयन हेतु नहीं रोका जाएगा भले ही उनके द्वारा ऑनलाईन कक्षाऐं नहीं ली गई है और उनके द्वारा फीस का भुगतान नहीं किया गया हो, ऐसे विद्यार्थियों की टीसी भी नही काटी जाएगी।
7. अगर कोई विद्यार्थी टीसी कटवाना चाहता है और उसने पूर्व में ऑनलाईन अध्ययन किया है तो उससे पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कैपिसिटी बिल्डिंग शुल्क लिया जा सकेगा।

8. उक्तानुसार शुल्क लेने के लिए यह भी शर्त होगी कि इन गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों एवं शिक्षकों को निर्धारित वेतन दिया जायेगा तथा कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उनकी छंटनी नहीं की जायेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। सभी संबंधित पालना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2019–20 दिनांकः 28.10.2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4 परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
5 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–5), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
7 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
8 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 जिला कलक्टर, समस्त जिला।
10 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
11 उपखण्ड अधिकारी, समस्त उपखण्ड कार्यालय।
12 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
13 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
14 संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
15 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
16 जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
17 जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) जयपुर
18 संयुक्त विधि परामर्शी–शिक्षा, कार्यालय हाजा
19 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
20 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
21 रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर